होता है।

**आदेश**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम काटलीपुरा पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 120, 121, 122 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम पर्वत पुत्र बालु के बजाय गणपत पुत्र बालु दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:12:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| | कार्यवाही विवरण | अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|
| 31.08.2021 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। बार बार आवाज लगाने के बाद भी ना तो अप्रार्थीगण हाजिर और ना ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता हाजिर अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। बहस प्रार्थना पत्र मूल पर पुनः श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 13.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी करवाए जाने का आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा जमाबंदी एवं सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 13.06.2018 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।<br><br>**आदेश**<br><br>**प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110, 128 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नेवरी पटवार हल्का नेवरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 0.30 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2018 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।**<br><br>31.8.21<br>**(राम सिंह राजावत)**<br>**उपखण्ड अधिकारी,**<br>**उदयपुरवाटी**<br>उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)<br><br>**निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।**<br><br>31.8.21<br>**(राम सिंह राजावत)**<br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**उदयपुरवाटी**<br>उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:12:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner